

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक-08 अगस्त, 2019 ई० ।

संख्या-1स्था०-117/2015- 1843 / वि०स० । बिहार विधान सभा (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम-14 के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभा सचिवालय में समूह-ख के अंतर्गत प्रशासनिक संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं विषय आदि के विनियम के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं :-

बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2019

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2019 कहा जा सकेगा ।
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।
3. बिहार विधान सभा सचिवालय में समूह 'ख' के अंतर्गत प्रशासनिक संवर्ग के प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं विषय वहीं होगी जो नीचे वर्णित है :-


प्रथम पत्र - बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018, बिहार सेवा संहिता, पेंशन रूल्स, कोषागार संहिता एवं वित्तीय नियमावली ।

द्वितीय पत्र - टिप्पण एवं प्रारूपण ।

तृतीय पत्र - भारत का संविधान, बिहार विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, सरकारी यात्रा भत्ता नियमावली, सदस्यों के वेतन एवं भत्ता नियमावली ।


प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 (एक सौ) अंकों का होगा तथा उत्तीर्णांक 40 (चालीस) अंकों का होगा । परंतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति उम्मीदवार के लिए उत्तीर्णांक 30 अंकों का होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,


(बटेश्वर नाथ पाण्डेय)
सचिव, 08/08/19
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-1स्था०-117/2015- 1844 / वि०स०, पटना, दिनांक- 08 अगस्त, 2019 ई० ।

प्रति:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-117/2015- 1844

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 08 अगस्त, 2019 ई० ।

प्रति:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

SK
8.08.2019

(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-117/2015- 1844

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 08 अगस्त, 2019 ई० ।

प्रति:- सभी निदेशक / उप सचिवगण / मुख्य प्रतिवेदक / अवर सचिवगण एवं समकक्ष पदाधिकारीगण, नियुक्ति कोषांग / श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा, स्थापन शाखा, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

SK
8.08.2019

(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-117/2015- 1844

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 08 अगस्त, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं सचिव के प्रधान आप्त सचिव, को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित ।

SK
8.08.2019

(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-117/2015- 1844

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 08 अगस्त, 2019 ई० ।

प्रति:- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय ।

SK
8.08.2019

(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

8/8/19